प्रकरण संख्या 2/2019 श्यामलाल बनाम भगवतीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वार अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेहन्दुरिया में आराजी नंबर 1705/1189 रकबा 7 बिस्वा एवं 1703/1189 रकबा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी व अन्य खातेदारान की भूमि है। उक्त भूमियां वादी के पिता भंवरलाल व मनोहरलाल तथा रामेश्वरलाल को उनके पिता श्री हेमराज से को प्राप्त हुई हैं। उक्त भूमियों का अभी विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु प्रतिवादी द्वारा बिना विभाजन एवं किसी प्रकार का संपरिवर्तन कराये मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति नगदी में संभव नहीं है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि बिना विभानज एवं किस्म परिवर्तन कराये किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। यदि दौराने कार्यवाही किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिवादी द्वारा कर लिया जाता है तो उसे पुनः गिराकर यथावत स्थिति करायी जावे। प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि आपसी पारिवारिक समझौते में अपने हिस्से में आयी भूमि पर वह काबिज है तथा मवेशियों व घास आदि रखने के लिए उसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड पर अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। बिना विभाजन का वाद लाये स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 26.06.2018 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31.12.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री मुकेश	

शर्मा उपस्थित हुए।

अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व कैम्प में प्रतिवादी के अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिससे उसे निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझ का कोई विलम्ब नहीं किया गया है। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया तो यह पाया कि राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट के उपस्थित होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जाब्ता दीवानी के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है एवं मात्र वादी के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में लगातार 5 पेशियों पर न्यायालय की छाप लगी होकर पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त रहें हैं एवं इसके बाद प्रकरण सीधे ही राजस्व कैम्प में रखकर मात्र वादी/रेस्पोन्डेन्ट के अभिवचनों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर उसके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ

प्रकरण संख्या 2/2019 श्यामलाल बनाम भगवतीलाल

न्यायालय द्वारा प्रकरण में जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर एवं उन पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 2/2019 श्यामलाल बनाम भगवतीलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: